दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 03 दिसंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 66

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में शीतलहर से अभी कोई राहत नहीं

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को शीतलहर से कोई राहत नहीं मिली, जबकि मौसम कार्यालय ने शुक्रवार शाम से बारिश/बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पास आ रहा है, जिसके प्रभाव में 5 से 7 दिसंबर के बीच मुख्य गतिविधि के साथ बारिश / हिमपात होने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.8 नीचे, पहलगाम में शून्य से नीचे 4.2 और गुलमर्ग में शून्य से 1.5 डिग्री नीचे रहा। लद्दाख के द्रास शहर में न्यूनतम शून्य से 11.8, लेह में शून्य से 6.3 और कारगिल में शून्य से 7.9 नीचे दर्ज किया गया। जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 9.8, कटरा में 10.2, बटोटे में 5.9, बनिहाल में 0.8 और भद्रवाह में 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 22 दिनों के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 दिन पहले की गई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद गुरुवार को यहां सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीएम की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) जारी रखने की सलाह दी गई है। ठाकरे को 10 नवंबर को एचएनआरएफएच में भर्ती कराया गया था और 12 नवंबर को रीढ़ की समस्याओं के कारण उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया था। इसके अलावा बाद में रक्त के थक्के को हटाने की एक छोटी सी प्रक्रिया भी की गई थी। इसके बाद, उन्हें फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई, जो कुछ और हफ्तों तक जारी रहने की उम्मीद है । ये संभव है कि वह तब तक कार्यालय में उपस्थित न हों। हालांकि, सीएम महत्वपूर्ण फाइलों का काम देख रहे हैं, कैबिनेट सहयोगियों या अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं। वह अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े खतरों से संबंधित कैबिनेट की कुछ बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं।

चीन में महिला टेनिस प्रतियोगिताएं हुईं रद्द

बीजिंग । विश्व महिला टेनिस की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी पेंग श्वाई के साथ चीन में जो हो रहा है उसे लेकर विश्व महिला टेनिस संगठन ने चीन में अपनी सारी प्रतियोगिताएं रद्द कर दी हैं. कई खिलाड़ियों ने इस कदम की सराहना की है.पेंग ने नवंबर में सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में चीन के पूर्व उप-प्रधानमंत्री जांग गाओली पर उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. उसके बाद वो एक तरह से गायब हो गईं और उनके आरोपों को भी सार्वजनिक मंचों से हटा दिया गया. हालांकि वो करीब तीन सप्ताह बाद एक बार फिर नजर आईं. सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों और वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाते और बच्चों के एक टेनिस टूर्नामेंट में नजर आईं. 21 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 30 मिनट तक पेंग से वीडियो कॉल पर बात भी की, जिस दौरान पेंग ने उन्हें बताया कि वो सुरक्षित हैं. जांच की मांग लेकिन पेंग के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जांग 2018 में सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन उन्होंने और सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक कुछ नहीं कहा है. इसके अलावा चीन में इंटरनेट पर इस विषय पर चर्चा पर भी बैन लगा दिया है. महिला टेनिस संगठन इस पूरी स्थिति को गंभीरता से ले रहा है. संगठन के मुख्य कार्यकारी स्टीव साइमन ने कहा है कि संगठन के निदेशकों के बोर्ड को यह विश्वास नहीं है कि पेंग के साथ सब ठीक है. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताएं रद्द करने के फैसले का बोर्ड ने पूरी तरह से समर्थन किया है. साइमन ने आगे कहा, हमें यह तो मालूम है कि पेंग कहां है, लेकिन हमें उनके स्वतंत्र, सुरक्षित और सेंसर, दबाव और भय से मुक्त होने पर गंभीर रूप से शक है उन्होंने कहा कि उनका सगठन पेंग के आरोपों की पूरी और पारदर्शी जांच की मांग को दोहरा रहा है. साइमन ने एक बयान में कहा, पेंग श्वाई को स्वतंत्रता से अपनी बात कहने नहीं दिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का दिया समय

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग होने की उपयोगिता पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि अगर इसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल होते हैं और ऐसा लगता है कि निर्णय को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। अदालत ने सरकार को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ठोस उपाय करने के लिए 24 घंटे का समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि आपात स्थिति में आपातकालीन उपायों की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल

तुषार मेहता से कहा, अगर चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आपको रचनात्मकता के साथ काम करना होगा। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें कुछ असाधारण करना होगा .. हम आपकी नौकरशाही में रचनात्मकता को लागू या प्रेरित नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कदम उठाने होंगे।

पीठ ने मेहता से पूछा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या कर रहा है और बताया कि न्यायाधीशों ने आयोग में लोगों के नाम और पदनाम देखे हैं।

पीठ ने कहा कि यह सभी विभागों के साथ भारत सरकार के संगठन की तरह दिखता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा- ऐसा लगता है कि समस्या यह है कि इस आयोग के पास प्रवर्तन की कोई शक्ति नहीं है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया, हमारे आदेशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यह कहां से आ रहा है?

पीठ ने आगे कहा कि 20-30 सदस्यीय समिति (वायु गुणवत्ता आयोग) का क्या फायदा? पीठ ने कहा, यह राजकोष पर एक और बोझ के अलावा और कुछ नहीं है।

मेहता ने कहा कि सरकार दिल्ली में जीवन के लिए खतरनाक प्रदूषण के स्तर के बारे में समान रूप से चिंतित है और उच्चतम प्राधिकरण से बात करने और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए एक दिन का समय मांगा है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसे राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की जरूरत है। पीठ ने कहा- यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम कदम उठाएंगे ..।

शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गंभीर होने का निर्देश दिया और शुक्रवार को मामले पर अगली सुनवाई निर्धारित की।

गुजरात में तेज बारिश का कहर, समुद्र में डूब गए कई बोट, 10 मछुआरे लापता

सोमनाथ (आरएनएस)। गुजरात में तेज बारिश और हवाओं के कारण कम से कम 10-12 बोट समुद्र में डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी है कि कि इस हादसे के बाद से 10 मछुआरे गायब हैं। कल से ही खराब हो रहे मौसम को देखते हुए हवामान विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी थी। यहां प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लापता मछुआरों की तलाश की जा रही है।

महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में बुधवार से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ मछुआरों के लिए पांच दिन की चेतावनी जारी की गई है। अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मुंबई, इसके उपनगरीय इलाकों और उत्तरी और मध्य महाराष्ट्र तथा गुजरात के दक्षिणी हिस्से में बुधवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दो दिसंबर तक बारिश का यह दौर जारी रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख जयंत सरकार ने बताया कि पालघर, ठाणे, रायगढ़, मुंबई, नासिक, धुले, नंदुरबार में भी बुधवार को बारिश हुई। नवंबर-दिसंबर में महाराष्ट्र में सामान्य तौर पर बारिश नहीं होती है लेकिन, दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बनी चक्रवाती हवाओं की वजह से बारिश हुई है। आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख सती देवी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क से भूमध्यसागरीय क्षेत्र में एक चक्रवाती प्रवाह उत्पन्न होता है। इस वजह से उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी होती है। उन्होंने कहा कि इन दो मौसमी प्रणालियों के कारण गुजरात, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है।

जापान ने इनबाउंड फ्लाइट बुकिंग पर प्रतिबंध का फैसला लिया वापस

टोक्यो। जापानी सरकार ने आज एयरलाइंस से इस महीने आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आरक्षण पूरी तरह से बंद करने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया है।

जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने स्वीकार किया कि परिवहन मंत्रालय की पिछले दिन की घोषणा ने जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी, जबकि अधिकारियों को घरेलू यात्रा करने के लिए लोगों की इच्छाओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखने का निर्देश दिया है।

जापानी सरकार के शीर्ष प्रवक्ता, मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रालय ने अनुरोध वापस ले लिया है और जापान जाने वाली उड़ानों के लिए ऑल निप्पॉन एयरवेज कंपनी और जापान एयरलाइंस कंपनी को नए रिजर्वेशन्स लेने की अनुमति दी है।

सरकार ने विदेशों से आगमन की दैनिक सीमा को भी 5,000 से घटाकर 3,500 कर दिया। यद्यपि ओमिक्रॉन वेरिएंट में उत्परिवर्तन की अभूतपूर्व संख्या इस संभावना का सुझाव देती है कि यह अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट की तुलना में भी आगे और तेजी से फैल सकता है। किशिदा ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को जापान में प्रवेश करने से रोकने के लिए तेजी से उपाय किए हैं, जिसमें विदेशियों की नई प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगाना और जापानी नागरिकों और देशों से लौटने वाले विदेशी निवासियों के प्रकोप होने की आशंका पर क्वारंटीन नियमों को कड़ा करना शामिल है।

बम विस्फोट की धमकी के बाद रामनगरी में हाई अलर्ट

» मठ-मंदिरों व धर्मशालाओं की हुई तलाशी

अयोध्या (आरएनएस)। विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी से महज तीन दिन पूर्व रामनगरी अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी के चलते पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई। साथ ही जिले को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर से सटे क्षेत्रों की जांच- पड़ताल की गई। सभी प्रवेश मार्गों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के बाद ही लोगों को अयोध्या धाम में प्रवेश दिया जा रहा है। गुरुवार को दिन

भर सीआरपीएफ और ब्लैक कैट कमांडो के बूटों की आवाजें ही सुनाई दीं। गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद से किसी अज्ञात युवक ने डायल 112 पर कॉल करके अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी भरा फोन मिलने के बाद अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुफिया संगठनों ने सभी पहलुओं पर पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियां भीड़भाड़ वाले इलाके व होटल -धर्मशालाओ में संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। मंदिरों में भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही रोडवेज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों या रुकने वाले स्थानों पर चेकिंग कराई जा रही है। एसएसपी शैलेश पांडेय खुद मोर्चा संभाले हुए थे। राम जन्मभूमि व अन्य मंदिरों ने एसएसपी ने जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही टीम के साथ पूरे दिन अयोध्या की सड़कों पर भ्रमण भी किया।

जन्मभूमि परिसर व कार्यशाला की भी बढ़ी सुरक्षा

-रामनगरी अयोध्या हमेशा से सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर रहती है। विभिन्न अवसरों पर यहां सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं। मंदिर निर्माण के मद्देनजर रामलला व बन रहे मंदिर के साथ श्रीरामजन्मभूमि न्यास कार्यशाला की सुरक्षा भी बढ़ाई गयी है। वहीं चप्पे-चप्पे पर ब्लैक कैट कमांडो के दस्ते को तैनात किया गया है।

चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा बरकरार, पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक, 95 ट्रेनों को किया रद्द

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर बनी स्थिति पर हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले जवाद तूफान के चलते रलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया। तो वहीं, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने बंगाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसके आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका है। आईएमडी ने ओडिशा के गजपति, गंजम, पुरी और जगतसिंहपुर जिलों में रेड अलर्ट (भारी से बहुत भारी वर्षा का संकेत) जारी किया है।

चक्रवाती तूफान के तट के पास पहुंचने के बाद केंद्रपाड़ा, कटक, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, रायगडा और कोरापुट जिलों में चार दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश के शीर्ष नौकरशाह ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को 'किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान से बचने और संपत्ति, बुनियादी ढांचे और फसलों को कम से कम नुकसान पहुंचने देने'' का निर्देश दिया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए कि मछुआरों और समुद्र में सभी नौकाओं को तुरंत वापस बुला लिया जाए और चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक ने एनसीएमसी को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव वाले क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसके तीन दिसंबर तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। बयान में कहा गया कि इसके चार दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है, जिसमें हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ होगी, साथ ही भारी वर्षा होने की भी आशंका है।

बयान में कहा गया कि चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम और ओडिशा के तटीय जिलों को प्रभावित करने की आशंका है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने इन राज्यों में 32 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को तैयार रखा जा रहा है।

मार्ग दुर्घटना में 2 सगे भाइयों सहित तीन की मौत, चार घायल

अमेठी (आरएनएस)। उत्तरप्रदेश के अमेठी जनपद में अलग-अलग थानाक्षेत्र में हुई दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये । पहली संग्रामपुर थाना क्षेत्र ठेंगहा गांव के पास अमेठी प्रतापगढ़ मार्ग पर बुधवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल। एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया तो दूसरा युवक इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया । मृतक दोनों युवक सगे भाई है और निमंत्रण से लौट कर घर जा रहे थे । मृतक की पहचान सुनील कुमार उम्र 25 वर्ष और गुड्डू उम्र 19 वर्ष पुत्र रामचंद्र विश्वकर्मा निवासी मिसिरपुर सोनारी कनु संग्रामपुर के रूप में हुई । वहीं दूसरी बाइक पर सवार गंभीर रूप से घायल युवक सुनील कुमार पुत्र मेवालाल निवासी छतरपुर,थाना अंतू प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। वही चौथे युवक की पहचान नही हो पाई है ।वही दो सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। संग्रामपुर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई है। दूसरी घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सैंठा बाजार की है जहां गौरीगंज कस्बा निवासी उमेश सरोंज के साथ अन्य दो युवक जा रहे थे कि अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया जिसमें उमेश सरोज की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये।

अनियमित वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में राज्य में हो रही तेजी से कार्रवाई : डीजीपी जुनेजा

» मनी ट्रेल करके वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों की तेजी से जांच संभव

» छत्तीसगढ़ पुलिस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ पुलिस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आज यहां पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में अनाधिकृत जमा के

स्वीकार, चिटफंड और पॉन्जी स्कीम से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कहा कि आज की कार्यशाला के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अनाधिकृत जमा और गड़बडियों के बारे में जानकारी मिल पायेगी। एनबीएफसी कंपनियों का रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी के विशेषज्ञ अधिकारियों से आपको बहुत सी जानकारी मिल पायेगी जो आपके प्रकरणों में सहायता देगी। श्री जुनेजा ने कहा कि चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के मामलें में छत्तीसगढ़ में तेजी से कार्रवाई हो रही है और न्यायालय के माध्यम से डायरेक्टर्स की संपत्ति कुर्क करके पीड़ितों को पैसा वापस कराया जा रहा है।

वर्कशॉप में बताया गया कि किसी भी वित्तीय अनियमितता के मामले में मनी ट्रेल करना महत्वपूर्ण होता है। चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े के संबंध में विशेषज्ञों ने बताया कि जब भी कोई कंपनी वित्तीय धोखाधड़ी करती है वहां डमी डायरेक्टर की संभावना ज्यादा होती है। पुलिस के सामने यहीं से असली चुनौती शुरू होती है कि फर्जीवाड़ा करने वाले मूल लोगों तक कैसे पहुंचा जाये। पुलिस की इस चुनौती को मनी ट्रेल के माध्यम से सुलझाया जा सकता है । मनी ट्रेल करके जांच एजेंसी पता कर सकती है कि धोखाधड़ी के पैसे का अंतिम लाभ किस व्यक्ति या संस्था को पहुंचा है। मनी ट्रेल के माध्यम से धोखाधड़ी के पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना आसान होता है।

विशेषज्ञों ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर फॉरेंसिक ऑडिट के महत्व पर जोर दिया । उन्होंने बताया कि सभी कंपनियां में ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी वित्तीय वर्ष में स्टेटुअरी ऑडिट सभी कंपनियों में होता है लेकिन जब किसी वित्तीय गड़बड़ी का पता लगाना हो तब फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ता है। इससे विस्तृत रूप से किसी वित्तीय धोखाधड़ी या गड़बड़ी का पता लगाया जा सकता है। जो भी कंपनी भारत देश में संचालित हैं उन सभी को कंपनी एक्ट 2013 के अनुरूप कार्य करना होता है। इस एक्ट में स्पष्ट है कि किस प्रकार की कंपनियां पब्लिक से पैसा जमा करा सकती हैं। जो भी कंपनियां पब्लिक से पैसा जमा करा रहीं है नियमानुसार उन्हें ट्रस्टी नियुक्त करना अनिवार्य होता है। कंपनी द्वारा डिपोजिट लेते समय ग्राहक को रिसीट देना अनिवार्य है। सभी कंपनियों को प्रत्येक वर्ष अपने वास्तिवक ओनर की घोषणा करना अनिवार्य रहता है। किसी कंपनी के डायरेक्टर का पता करने के लिये एमसीए पोर्टल पर एसबीओ फॉर्म की सहायता ली जा सकती है।

विशेषज्ञों ने बताया कि यदि कंपनी ने जमाकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है तो जमाकर्ता कंपनी पर केस कर सकता है इसके साथ ही कंपनी का प्रमोशन करने वाले प्रमोटर यदि उसे कंपनी द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की जानकारी हो तो उस पर भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है।